(7)

पत्र संख्या–बी–4–वाहन कय/ इंश्योरेन्स,प्र0स0 तथा फि0स0–2022–2023/ 2371 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त,राज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 23 अगस्त, 2022

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय :– समस्त शासकीय वाहनों को अविलम्ब इंश्योरेन्स, प्रदूषण सर्टीफिकेट तथा फिटनेस सफिकेट से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–75(जी0)प्रावि0/2022–66प्रावि0/2022 दिनांक–20.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त शासकीय वाहनों को अविलम्ब इंश्योरेन्स, प्रदूषण सर्टीफिकेट तथा फिटनेस सर्टीफिकेट से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

अतः परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक–20.06.2022 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने अधीनस्थ फील्ड/क्षेत्र में उपलब्ध समस्त शासकीय वाहनों को अविलम्ब इंश्योरेन्स, प्रदूषण सर्टीफिकेट तथा फिटनेस सर्टीफिकेट से आच्छादित कराते हुये मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न होने पर समस्त उत्तर दायित्व आपका होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक/ उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
2–नाजिर वाहन वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

D.C.(I.T.)
24/08/2022
2161

(पी0एन0यादव)
संयुक्त आयुक्त (स्था0 अराज0) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अनुस्मारक
संख्या:–75(जी०)प्रावि० / 2022–66प्रावि० / 2022

प्रेषक,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
   मुख्यालय, लखनऊ।
3. निदेशक,
   नगरीय परिवहन निदेशालय,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्राविधिक अनुभाग। लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2022

विषय:–बिना इन्श्योरेंश, प्रदूषण सर्टीफिकेट तथा बिना फिटनेस के गतिमान सरकारी वाहनों के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–341कं०से० / 2022–19कं०से०(वि०प०प्र०) / 2017, दिनांक 26.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके अधीनस्थ पंजीकृत शासकीय वाहनों को अधिक से अधिक संख्या में प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–12 / 2022 / 801 / तीस–4–2022, दिनांक 26.05.2022, जो समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, द्वारा भी समस्त शासकीय वाहनों को 15 दिवस के अन्दर ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र'' से आच्छादित कराने का अनुरोध किया गया है।

संयुक्त आयु०(स्था०अरा०)/ वाहन-नाविर/ ...

ACCT (A)
23.06.2022
5-12

3– अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या–नियम–10 / तीस–4–2022, दिनांक 02.06.2022 के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, विधानसभा सचिवालय (पटल कार्यालय), उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–607 / वि०स० / संसदीय / 81(स) / 2022, दिनांक 30.05.2022 द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर उसका अन्तिम उत्तर 90 दिन के भीतर विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की

गयी है। उपर्युक्त सूचना का उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त न होने की दशा में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करने तथा उसकी सूचना सदन में यथासंभव उसी सत्र में और विलम्बतम अगले सत्र में निदेश संख्या 14(3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखी जाने वाली सूची में सम्मिलित करने हेतु सचिवालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

4— अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 60545 सरकारी वाहन पंजीकृत हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 18279 वाहनें ही प्रदूषण मुक्त प्रमाण—पत्र से आच्छादित हैं। यह संख्या कुल पंजीकृत शासकीय वाहनों के सापेक्ष अत्यन्त कम है।

5— उल्लेखनीय है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 में सरकारी वाहनों के इंश्योरेंश, प्रदूषण प्रमाण—पत्र, फिटनेस सर्टीफिकेट की वैधता तथा सरकारी वाहनों के रख रखाव के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

6— ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—115 में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—190(2) के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है तथा इस अभियोग हेतु रू० 10,000/— शमन शुल्क भी निर्धारित है।

चूंकि प्रकरण मा० विधान सभा से सम्बन्धित है एवं संवेदनशील है, अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय वाहनों को अविलम्ब इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टीफिकेट तथा फिटनेस सर्टीफिकेट (यथालागू) से आच्छादित कराने का कष्ट करें। साथ ही बिना इंश्योरेंस, बिना प्रदूषण सर्टीफिकेट तथा बिना फिटनेस सर्टीफिकेट (यथालागू) के गतिमान सरकारी वाहनों के रख रखाव के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०:—75(जी०—1)प्रावि०/2022—समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग—4, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या—नियम—10/तीस—4—2022, दिनांक 02.06.2022 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।

3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

(देवेन्द्र कुमार)
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व),
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय परिवहन आयुक्त

उत्तर प्रदेश

संख्या– 341 कं०से०/2022– 19कं०से०(वि0प0प्र0)/2017 लखनऊ :दिनांक 26 मई, 2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
   मुख्यालय, लखनऊ।
3. निदेशक,
   नगरीय परिवहन निदेशालय,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

विषय–समस्त शासकीय वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 60545 सरकारी वाहन पंजीकृत हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 12972 वाहनें प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित है। यह संख्या कुल पंजीकृत शासकीय वाहनों के सापेक्ष अत्यन्त कम है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2022 में श्री महबूब अली, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–190(2) के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है तथा इस अभियोग हेतु रू0 10,000/– शमन शुल्क भी निर्धारित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ पंजीकृत शासकीय वाहनों को अधिक से अधिक संख्या में प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, अन्यथा ऐसे वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

(धीरज साहू)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश